



15

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक टी०एम०-प्राधि० पत्र-(16-17)-
No.
दिनांक - -2016
Dated

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी,

९९
रक्सौल
.....
.....

विषय:- अधीक्षण अभियंता के पक्ष में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या 876 दिनांक 20.04.2016, 877 दिनांक 20.04.2016, 878 दिनांक 20.04.2016, 879 दिनांक 20.04.2016, 939 दिनांक 29.04.2016, 940 दिनांक 29.04.2016, 941 दिनांक 29.04.2016, 1057 दिनांक 10.05.2016, 1058 दिनांक 10.05.2016 और 1059 दिनांक 10.05.2016 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 39 दिनांक 11.05.2016, 40 दिनांक 11.05.2016, 41 दिनांक 11.05.2016, 42 दिनांक 11.05.2016, 43 दिनांक 11.05.2016, 44 दिनांक 11.05.2016, 48 दिनांक 13.05.2016, 49 दिनांक 13.05.2016 और 50 दिनांक 13.05.2016 तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या- एम-4-20/2014-4129 दिनांक 19.05.2016 के आलोक में जल संसाधन विभाग के अधीन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यालयों का पुनर्गठन करते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंता को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत किया गया है।

अतः अधीक्षण अभियंता,

विरह नगर अंचल, रक्सौल
.....
.....

को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध है कि स्वीकृत राशि की निकासी बिहार वित्तीय नियमावली/बिहार कोषागार संहिता -2011 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 7355 वि०(2) दिनांक 05-10-2007 एवं समय-समय पर निर्गत सरकारी आदेश के आलोक में उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्रों/चेकों का भुगतान करने की व्यवस्था की जाय ।

भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मामले से संबंधित राशि का भुगतान वित्त विभाग के किसी आदेश/दुतादेश के अन्तर्गत तो नहीं किया गया है । स्वीकृत राशि तथा आवंटन से अधिक राशि की निकासी के लिए कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष से की जायेगी-

| क्रम सं० | बजट शीर्ष |
|----------|-----------------|
| 1 | P 2705000010204 |
| 2 | P 2705000010304 |
| 3 | P 2711010010106 |
| 4 | P 4700010510101 |
| 5 | P 4700010510103 |
| 6 | P 4700010510204 |
| 7 | P 4700010510304 |
| 8 | P 4700017890101 |
| 9 | P 4700020510101 |
| 10 | P 4700020510103 |
| 11 | P 4700027890101 |
| 12 | P 4700030510101 |
| 13 | P 4700030510103 |
| 14 | P 4700030510204 |
| 15 | P 4700030510304 |
| 16 | P 4700030510205 |
| 17 | P 4700030510305 |
| 18 | P 4700037890101 |
| 19 | P 4700040510101 |
| 20 | P 4700040510103 |
| 21 | P 4700040510204 |
| 22 | P 4700040510304 |
| 23 | P 4700800050101 |
| 24 | P 4700800510102 |
| 25 | P 4701030510101 |
| 26 | P 4701030510103 |

| क्रम सं० | बजट शीर्ष |
|----------|-----------------|
| 32 | P 4711010510101 |
| 33 | P 4711010510102 |
| 34 | P 4711010510104 |
| 35 | P 4711010510105 |
| 36 | P 4711010510106 |
| 37 | P 4711010510209 |
| 38 | P 4711010510309 |
| 39 | P 4711017890101 |
| 40 | P 4711017890102 |
| 41 | P 4711017890103 |
| 42 | S 2700800020402 |
| 43 | S 4711010510408 |
| 44 | N 2700010010001 |
| 45 | N 2700011010002 |
| 46 | N 2700020010001 |
| 47 | N 2700021010002 |
| 48 | N 2700030010001 |
| 49 | N 2700031010002 |
| 50 | N 2701011010002 |
| 51 | N 2701031010002 |
| 52 | N 2701040010001 |
| 53 | N 2701041010002 |
| 54 | N 2701800010001 |
| 55 | N 2701800010003 |
| 56 | N 2701801900001 |
| 57 | N 2711010010003 |

| | |
|----|-----------------|
| 27 | P 4701037890101 |
| 28 | P 4701040510101 |
| 29 | P 4701040510103 |
| 30 | P 4701047890101 |
| 31 | P 4701800050101 |

| | |
|----|-----------------|
| 58 | N 2711011030002 |
| 59 | N 2711030010001 |
| 60 | N 2711031030002 |
| 61 | N 3451000900009 |

भवदीय,

ह0/-

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-टी0एम0/प्राधि0 पत्र (16-17)...¹²⁵⁹ दिनांक 31/05/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्रांक-876 दिनांक 20.04.2016 के संदर्भ में ।
2. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्र सं0-4129 दिनांक 19.05.2016 के संदर्भ में ।

3. अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रासौल

4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना ।


वरीय लेखा अधिकारी,
30/5/16
बिहार, पटना ।